न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 22 / 2025

प्रार्थीगणः–

1. अभय सिंह पुत्र श्री शंकर,
2. जय सिंह पुत्र श्री शंकर,
3. दौलत सिंह पुत्र श्री शंकर,
4. प्रेम सिंह पुत्र श्री शंकर,
5. मदन सिंह पुत्र श्री शंकर,
6. संतोष सिंह पुत्र श्री शंकर,
7. अशोक सिंह पुत्र श्री हड़मान,
8. बेजू सिंह पुत्र श्री हड़मान,
9. सोहन सिंह पुत्र श्री भारत,
10. हुकम सिंह पुत्र श्री भारत,
11. हराराम पुत्र श्री गोबर राम, निवासीगण– खेडी वाला बेरा, माता का थान, मगरा–पूंजला , जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

आदेश दिनांक:- 6/4/26

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री अजीत दैया , अरविन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. सरकारी पेरोकार अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जा–काश्त, मालिकाना हक खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 रकबा 17 व 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, वाके ग्राम पूंदला, पटवार हल्का पूंदला, भू.अ.नि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला–जोधपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार–काश्तकार है तथा जिस पर प्रार्थीगण का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

कृषि भूमि खसरा संख्या–265 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में अन्य किसी भी शख्स अथवा संस्था को दखलंदाजी अथवा अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम पूंदला के सीमा चिन्ह अस्पष्ट होने के कारण, प्रार्थीगण के खसरा संख्या–265 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या–267, पश्चिम दिशा में खसरा संख्या–264 तथा उत्तर दिशा में खसरा संख्या–271 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जो कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/9284 दिनांकित 11.12.2024 की पालना में सम्बन्धित हल्का पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 तथा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न मौके के फोटोग्राफस् से भी स्पष्ट है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 के मौके पर सीमा ज्ञान नहीं होने से अन्य पड़ौसी खातेदारान् द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या–265 पर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है, तथा प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी नहीं की जाने दी रही है, जिस कारण मौके पर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। पड़ौसी खातेदारान् द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि को बिना प्रार्थीगण की इजाजत के खुर्द–बुर्द व नष्ट नाकाम कोशिशें की जा रही है, तथा पड़ौसी खातेदारान् अपने हिस्से से अधिक, प्रार्थीगण की भूमि पर काबिज हो गये है, तथा प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। जबकि पड़ौसी खातेदारान् को प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 में अतिक्रमण करने अथवा दखलंदाजी करने का कोई हक या अधिकार हासिल नहीं है। पड़ौसी खातेदारान् द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाये जा रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर आवासीय भूखण्ड बनाकर उसे आगे व्यक्तियों को बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 की पैमाईश (सीमाज्ञान) किया जाकर, उसकी पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है तथा जिस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र वास्ते पत्थरगढ़ीध्सीमाज्ञान हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी भूमिधारी है, तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वाके पटवार हल्का पूंदला, भू.अ.नि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला–जोधपुर में स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पूंदला, पटवार हल्का पूंदला, भू.अ.नि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला–जोधपुर के खसरा संख्या–265 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि की पैमाईश (सीमाकंन) कर खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

संख्या–265 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि के चारों ओर मय पुलिस इमदाद पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अप्रार्थी, तहसीलदार महोदय, जोधपुर को आदेश फरमाया जावे तथा साथ ही ग्राम पूंदला के खसरा संख्या–264, 267 व 271 के खातेदारान् को जरिये आदेश पाबन्द किया जावे कि, वे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या–265 वाके ग्राम पूंदला, तहसील व जिला–जोधपुर पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य नहीं करे तथा न ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–265 पर आवासीय भूखण्ड बनाकर उसका आगे अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को बेचान नहीं करे। अन्य कोई आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में पारित फरमाया जाना उचित हो, सादर पारित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी की पूर्व में मौका फर्द संलग्न की गई। पटवारी जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 में नक्शा से मौका का माप कम पाया गया अर्थात् खसरा सं. 265 की भूमि पर पश्चिम में खसरा न. 264, पूर्व में खसरा सं. 267, उत्तर में खसरा सं. 271 के खातेदारों का अतिक्रमण पाया गया। अतः फर्द सीमांकन पढ़कर सुनकर की गई एवं हस्ताक्षर करवाएं गए।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर ही अपनी बहस की। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या–265 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में स्थित है व पडौसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। गूगल मैप की फॉटोग्राफ्स पेश की गई।

प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से अपने खातेदारी की भूमि खसरा सं. 265 की भूमि के सीमांकन एवं पत्थगढ़ी हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप विवाद के निवारण हेतु प्रस्तुत किया है। मौके पर खसरा सं. 265 की भूमि पर पश्चिम में खसरा न. 264, पूर्व में खसरा सं. 267, उत्तर में खसरा सं. 271 के खातेदारों का अतिक्रमण एवं मध्य माठ को लेकर विवाद है। पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थगढ़ी सीमांकन के रिपोर्ट अनुसार करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या–265 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, वाके ग्राम पूंदला, पटवार हल्का पूंदला, भू.अ.नि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला–जोधपुर के सर्व प्रथम पक्षकारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों एवं पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

सर्वप्रथम सीमाचिन्ह तत्पश्चात् सीमाज्ञान अनुसार पत्थगढ़ी कर मुटाम कायम किये जाने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है साथ ही तहसीलदार जोधपुर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थगढ़ी कायम किये जाते वक्त पुलिस इमदाद की आवश्यकता हाने पर नियमानुसार पुलिस इमदाद के साथ आदेश की पालना की जावे। अतः यह भी आदेशित किया जाता है न्यायालय ओदश दिनांक 11.03.2025 तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पत्थरगढ़ी के संबंध में कार्यवाही पूर्ण हो जाए। अतः पत्थरगढ़ी होने के पश्चात् न्यायालय आदेश दिनांक 11.03.2026 स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 6/4/26 को खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)